

प्ररूप सात

(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क. 44 सन् 1973) की धारा के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र।

1. सोसायटी का नाम और पूरा पता - Mar Thoma Gramodyoti Education & Development Society,
Mar Thoma Parsonage, Indira Gaudhi Marg, S. Civil Lines, Jabalpur. M.P. 482001
2. पंजीकरण क्रमांक तथा तारीख - J.T. 3170 dt. 4.2.97
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन की तारीख - 12-03-2021
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची - कार्यकाल तारीख 01.04.21 से तारीख 31.03.2024 तक

अनु क्रमांक	नाम	पिता / पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
(1)	Rev. P.J. Mathew	ZACHARIAH	C.P. ASHRAM DARSHANI P.O. SIHORA	President	Social Service	
(2)	Rev. Mathew K. Chandu	CHANDY	C-P ASHRAM DARSHANI PO SIHORA	Vice President	"	
(3)	M.V. Rajan	Sl/Late varghese Pappu	H No. 19 Agadehwar Rampur, Jabalpur	Secretary	Retired	
(4)	St. T. R. Mariamans	GEORGE	C.P. ASHRAM SIHORA	Jr. Secretary	Social Service	
(5)	Varghes George	V.V. George	Bidan: Jabalpur	Trustee	Retired	
(6)	Rev. Shibu George	GEORGE	C.P. ASHRAM DARSHANI - P.O. SIHORA, 483225	Member	Social Service	
(7)	St. Salamanna Mathu	Mathew	C.P. Ashram Sihora. P.O.	"	"	
(8)	Mr Varghes George (N)	Late K.C. George	L.T.G. B 706 Dhamevaulana Jagga	Governing Body member	Retd	
(9)	Mr T. M. Philipos	Late T.T. The man	'Achilasha' 135 Ek 6 Vikar, Jabalpur	Governing Body member	Pensioner	
(10)	St. Samuel K. Mathew	w/o S.K. Mathew	S4, Sahakar Nagar Rampur, Top	member	Teacher	
(11)	Mr. K. T. Samuel	Late K. K. Thomas	E-1, Preslige Home South C.W.I. Line, JBP	"	Pensioner	
(12)	Mr. K. C. Churion	Late K. C. Churion	House No - 513 Bithoori - P.O. Jabalpur Pin 482020	"	Pensioner	
(13)						
(14)						

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन 3040/- रु. की वार्षिक फीस, घात क्रमांक SBM/0006159/147516032021/8632 दिनांक 16/3/21 के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रतिलिपि है। घोषणा

मैं, M.V. Rajan पुत्र/पुत्री/पति Late Shri V. Pappu अनु क्रमांक 76 वर्ष एक प्रयुक्त अधिकारी के रूप में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी अभिलेख में आधारित होने से तथा हमारी श्रद्धालु जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अद्योहस्ताक्षरकर्ता प्राथमिक अधिकारी के अधिनियम में हैं। मैं यह जनता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी हो रहा हूँ।

M.V. Rajan

अध्यक्ष/सचिव

M.V. RAJAN